आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –314 / 2022
वंजू कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
10.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 8592 / 2022 में दिनांक–02.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में दिनांक 09.02.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश है कि आवेदिका के पिता–स्व0 भागीरथ ठाकुर के नाम से उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति सं0–45 / 2007 थी। श्री भागीरथ ठाकुर के दिनांक 20.10.2020 को 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु के पश्चात् वंजू कुमारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया। जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति के चयन के संबंध में दिनांक 09.02.2022 को आयोजित अनुकम्पा समिति के बैठक में श्रीमती वंजू कुमारी के दावे को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। जिला अनुकम्पा समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के उक्त निर्णय के विरूद्ध श्रीमती वंजू कुमारी द्वारा CWJC No. 8592 / 2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.11.2022 को पारित न्यायादेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"After some arguments, the learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this application in order to agitate his claim before the Divisional**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

commissioner.

This writ petition is dismissed as withdrawn with the liberty as aforesaid."

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) आवेदिका के पिता–स्व0 भागीरथ ठाकुर द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकान संचालन के क्रम में मृत्यु हो गयी।

(ii) आवेदिका शादी के बाद अपने पिता के साथ रहकर देखभाल करती थी। आवेदिका के पिता द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि उनकी मृत्यु के पश्चात् दुकान की अनुज्ञप्ति उनकी पुत्री श्रीमती वंजू देवी के नाम स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

(iii) आवेदिका के दो अन्य बहनों श्रीमती अंजू देवी एवं श्रीमती रेनू देवी द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया है।

(iv) जिला अनुकम्पा समिति द्वारा आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया जाना विधिसम्मत नहीं है, जो निरस्त होने योग्य है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि विवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत होने योग्य है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका स्व0 भागीरथ ठाकुर की विवाहित पुत्री है। आवेदिका (श्रीमती वंजू कुमारी) द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर जिला अनुकम्पा समिति द्वारा दिनांक 25.06.2021 की बैठक में विचार करते हुए इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5231 दिनांक 02.12.2021 द्वारा ***''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016*** की कंडिका 10 में वर्णित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उक्त कंडिका में अंकित है कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

''किसी अनुज्ञप्तिधारी की 58 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर, उसकी दुकान प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्रवधू और पुत्र की विधवा पत्नी को आवंटित की जा सकेगी। उपर्युक्त में एक से अधिक आश्रित हों, तो शेष से एक के पक्ष में हक छोड़ने के लिये शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर ही उसके आश्रित द्वारा आवेदन पत्र देने पर, उस पर विचार किया जायेगा।''

उक्त के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति द्वारा श्रीमती वंजू देवी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार जिला अनुकम्पा समिति द्वारा लिया गया निर्णय ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुकूल है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्रीमती वंजू देवी के पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL